15-5-2020
S.M BCom II BY DR. N. MOHAMMAD

3

ऋण-पत्रों का निर्गमन
(Issue of Debentures)

एक कम्पनी अपनी अधिकृत पूँजी से अधिक राशि के अंश निर्गमन नहीं कर सकती। अत: यदि व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिये कम्पनी को अतिरिक्त धन-राशि की आवश्यकता होती है तो वह ऋण-पत्र निर्गमित करके साधारण जनता से ऋण ले सकती है। ऋण-पत्र निर्गमित करके साधारणतया कम्पनी दीर्घकालीन ऋण लेती है। यह ऋण कम्पनी के विस्तार एवं विकास के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है।

ऋण-पत्र का अर्थ
(Meaning of Debenture)

ऋण-पत्र एक ऋण की स्वीकृति है जो कम्पनी की सील के अन्तर्गत दी जाती है और जिसमें एक निर्दिष्ट तिथि पर मूलधन के शोधन का तथा मूलधन पर एक निश्चित दर से (प्राय: अर्द्ध-वार्षिक) ब्याज के भुगतान का अनुबन्ध दिया होता है। इसके द्वारा कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया भी जा सकता है और नहीं भी।

भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार, *"ऋण-पत्र में ऋण-पत्र स्टॉक, बाण्ड और कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं चाहे वे कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हों या नहीं"*।[1]

अधिनियम की इस परिभाषा से ऋण-पत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता। वास्तव में ऋण-पत्र एक प्रपत्र है जो ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति है तथा जो कम्पनी की सील के अधीन निर्गमित किया जाता है तथा इसमें उन शर्तों का उल्लेख होता है जिनके अधीन ऋण लिया गया है। ये शर्तें ब्याज, जमा धन की वापसी तथा प्रतिभूति से सम्बन्धित होती हैं।

अत: ऋण-पत्र की निम्न विशेषताएँ होती हैं :

(*i*) ऋण-पत्र ऋण का प्रमाण है।
(*ii*) ऋण-पत्र में ब्याज की दर तथा मूलधन की शर्तें लिखी होती हैं।
(*iii*) ऋण-पत्र में ऋण की वापसी की तिथि दी होती है।
(*iv*) ऋण-पत्र के द्वारा कम्पनी प्राय: लम्बी अवधि, जैसे- 7, 10 या 12 वर्ष का ऋण लेती है।
(*v*) ऋण-पत्र में ऋण की प्रतिभूति (Securities) का भी वर्णन होता है।
(*vi*) ऋण-पत्र प्राय: कम्पनी की सम्पत्तियों पर सुरक्षित होते हैं। यदि कम्पनी निर्गमन की शर्तों के अनुसार इनका भुगतान नहीं कर पाती तो ये न्यायालय में दावा करके अपना ऋण वसूल कर सकते हैं।

बंधपत्र (Bond)- विषय-वस्तु तथा प्रकृति, दोनों ही दृष्टि से, बंधपत्र और ऋण-पत्र समान होते हैं। साधारण तथा पहले बंधपत्र केवल सरकार द्वारा ही निर्गमित किए जाते थे, किन्तु अब ये अर्ध-सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी ऋण के प्रमाण के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। बंधपत्रों तथा ऋण-पत्रों के बीच मूल अन्तर इनके निर्गमन की शर्तों के आधार पर होता है। ऋण-पत्रों का निर्गमन पूर्व निर्धारित ब्याज की दर पर किया जाता है जबकि बंध-पत्र का निर्गमन बिना पूर्व निर्धारित ब्याज की दर के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसा कि अत्यधिक कटौती बंधपत्र (Deep Discount Bond) अथवा शून्य कूपन बंधपत्र (Zero Coupon Bond) की दशा में होता है। अत्यधिक कटौती बंधपत्र अथवा शून्य कूपन बंधपत्र होता है जिस पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित नहीं होती किन्तु इसका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है। इसके निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य का अन्तर 'कुल ब्याज' होता है और इसे बंधपत्र की कुल अवधि में बाँट दिया जाता है। कुल ब्याज की आनुपातिक राशि के बंधपत्र के जीवन काल की कुल अवधि में प्रतिवर्ष लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

---

1. "Debenture includes debenture stock, bonds and any securities of a company whether constituting a charge on the assets to the company or not." – Sec 2(12) of Indian Company Act

Scanned with CamScanner

प्रभार (Charge)– प्रन्यास संलेख के अन्तर्गत ऋण, दायित्वों की पूर्ति हेतु एक भार है, जिसमें कम्पनी प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार के द्वारा किसी सम्पत्ति के विशिष्ट भाग को बंधक रखने के लिए अपनी सहमति दे देती है। ऐसे प्रभार से आशय लेनदारों के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वे अपने ऋण के भुगतान को ऐसी परिसम्पत्तियों के माध्यम से भुगतान अथवा कम्पनी के समापन की दशा से परिसमापक (Liquidator) द्वारा कम्पनी में सुरक्षित रखते हैं।

ऋण-पत्रों के माध्यम से लिये गये ऋण को ऋण-पूँजी (Loans Capital) भी कहते हैं।

याद रखें

- ऋण-पत्र कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति पत्र होता है ;
- ऋण-पत्रों पर ब्याज प्रायः अर्द्ध-वार्षिक दिया जाता है चाहे कम्पनी को लाभ हो अथवा नहीं ;
- ऋण-पत्र प्रायः लम्बी अवधि के लिये निर्गमित किये जाते हैं ;
- ऋण-पत्र के द्वारा कम्पनी पर प्रभार उत्पन्न किया भी जा सकता है और नहीं भी।

ऋण-पत्रों के निर्गमन के उद्देश्य
(Purposes of issuing Debentures)

ऋण-पत्र कम्पनी के आर्थिक जीवन में एक निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक कम्पनी को कोषों की आवश्यकता अपनी प्रारम्भिक जरूरतों एवं भविष्य की ज़रूरतों तथा विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए होती है। कम्पनी सम्भावित विनियोजकों से अंश पूँजी में अपना योगदान और देने की अपेक्षा ऋण (Loan) देने में अधिक विश्वास रखती है। ऋण-पत्रों का निर्गमन निश्चित ही कम्पनी की आर्थिक योजनाओं को एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है।

ऋण-पत्रों के प्रकार
(Types of Debentures)

कम्पनी निम्न प्रकार के ऋण-पत्र निर्गमित कर सकती है :

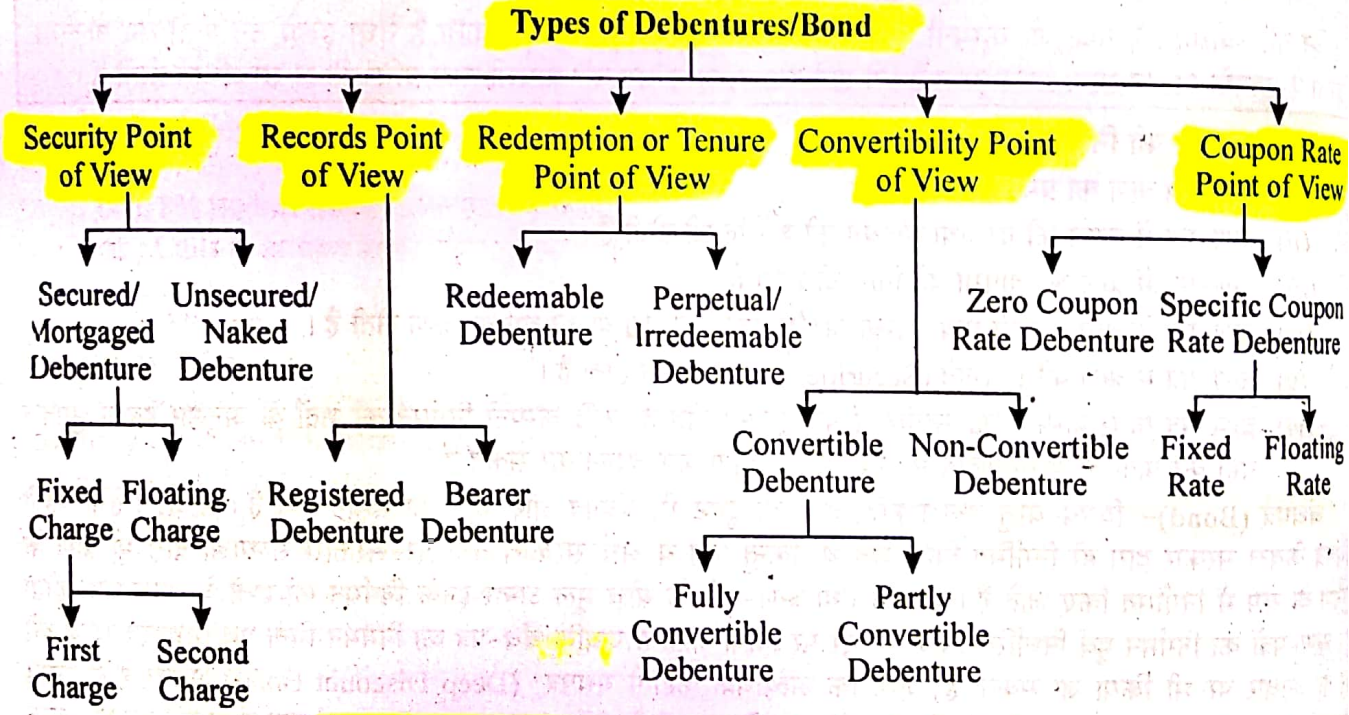

I. सुरक्षा की दृष्टि से (From Security Point of View)

(1) सुरक्षित अथवा बन्धक ऋण-पत्र (Secured or Mortgaged Debentures)– ये वे ऋण-पत्र होते हैं जो कम्पनी की सम्पत्तियों से सुरक्षित होते हैं। ये सुरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो जब किसी विशेष सम्पत्ति को ब्याज व मूलधन के शोधन के लिए सुरक्षित कर दिया जाये। दूसरे जब कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को शोधन के लिए सुरक्षित कर दिया जाये। इसको क्रमशः स्थायी (Fixed) व चल (Floating) प्रभार कहा जाता है। स्थायी प्रभार वाले ऋण-पत्रों को प्रथम प्रभार (First Charge) एवं द्वितीय प्रभार (Second Charge) वाले ऋण-पत्रों में बाँटा जा सकता है। प्रथम प्रभार से आशय उन धारकों को भुगतान की प्राथमिकता से है जिनके पास किसी विशेष सम्पत्ति पर ऐसा प्रभार है। वे सम्पत्तियाँ जिन पर प्रथम प्रभार सृजित किया गया है, का

Scanned with CamScanner

प्रयोग सर्वप्रथम सुरक्षित लेनदारों को भुगतान हेतु किया जाता है। वे लेनदार जो किसी विशेष सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार रखते हैं, अपनी देयराशि की वसूली इन सम्पत्तियों के शुद्ध वसूली मूल्य से प्राप्त कर लेंगे। इन सम्पत्तियों की वसूली से शेष बची हुई राशि का प्रयोग उन लेनदारों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिनका इन सम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार है। यदि द्वितीय प्रभारित धारकों को पूर्णतया भुगतान नहीं हो पाता तो ऐसे लेनदारों की अदत्त राशि को असुरक्षित मान लिया जाता है, अत: उस सीमा तक उनका भुगतान असुरक्षित लेनदारों के साथ किया जायेगा।

(2) असुरक्षित अथवा नग्न ऋण-पत्र (Unsecured or Naked Debentures)– ये वे ऋण-पत्र हैं जिनके धारणकर्त्ताओं को ब्याज या मूलधन के शोधन के लिये भी प्रतिभूति नहीं दी जाती। ऐसे ऋण-पत्रों का चलन बहुत कम है। कम्पनी के समापन पर ऐसे ऋण-पत्रधारी साधारण लेनदारों की भाँति ही माने जाते हैं।

II. शोधन की दृष्टि से (From Redemption Point of View) :

(1) शोध्य ऋण-पत्र (Redeemable Debentures)– ये वे ऋण-पत्र होते हैं जिनका रुपया एक निश्चित अवधि के बाद लौटा दिया जाता है। इन ऋण-पत्रों के मूलधन का भुगतान कम्पनी निश्चित समय के बाद या लाटरी द्वारा किश्तों में अपने जीवनकाल में ही कर देती है। लाटरी द्वारा भुगतान नकदी के रूप में किया जाता है जबकि किसी एक विशेष हिस्से का अंशों में परिवर्तन करके सभी ऋण-पत्र धारकों को समान अधिकार के रूप में किया जाता है।

(2) स्थायी ऋण-पत्र (Perpetual or Debenture)– ऐसे ऋण-पत्र का भुगतान किसी विशेष घटना के घटित होने पर, जिसकी सम्भावना कम होती है, अथवा किसी विशेष अवधि के समाप्त होने पर, हालाँकि लम्बी अवधि, पर ही शोधनीय होते हैं। ऋण-पत्र स्थायित्व की इस विशेषता पर आधारित होते हैं कि इनका भुगतान न केवल लम्बी अवधि पर किया जाता है, वरन् एक निश्चित ब्याज दर पर किया जाता है, अत: उसका वर्तमान मूल्य शून्य होता है।

III. परिवर्तनशीलता की दृष्टि से (From Convertibility Point of View) :

(1) परिवर्तनशील ऋण-पत्र (Convertible Debentures)– कुछ दशाओं में ऋण-पत्रधारियों को यह विकल्प दे दिया जाता है कि वे अपने ऋण-पत्रों को एक निश्चित समय के बाद निर्धारित शर्तों पर समता अथवा पूर्वाधिकार अंशों में बदल लें। वह ऋण-पत्र जिसे यह विकल्प प्राप्त है, परिवर्तनशील ऋण-पत्र कहलाते हैं।

परिवर्तित ऋण-पत्र दो प्रकार के होते हैं–

***(i)* पूर्णत: परिवर्तनीय ऋण-पत्र** (Fully Convertible Debentures FCD)– यदि ऋण-पत्रों की पूरी राशि को अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार है तो ऐसे ऋण-पत्रों को पूर्णत: परिवर्तनीय ऋण-पत्र कहते हैं। SEBI के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि परिवर्तन आबंटन की तिथि के 18 माह अथवा उसके पश्चात् परन्तु 36 माह से पूर्व किया जाता है तो ऐसा आंशिक अथवा सम्पूर्ण परिवर्तन ऋण-पत्रधारी की इच्छा पर किया जायेगा।

***(ii)* अंशत: परिवर्तनीय ऋण-पत्र** (Partly Convertible Debentures)– यदि ऋण-पत्र की राशि के कुछ भाग को ही अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार है तो ऐसे ऋण-पत्र को अंशत: परिवर्तनीय ऋण-पत्र कहते हैं।

परिवर्तनीय ऋण-पत्र आजकल बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि ये विनियोजकों को तरलता, सुरक्षा, पूँजी वृद्धि और एक निश्चित दर से आय प्रदान करने में सक्षम हैं।

(2) अपरिवर्तनशील ऋण-पत्र (Non-convertible Debentures)– ऐसे ऋण-पत्र जिनके धारकों को इन्हें अंशों में बदलने का अधिकार नहीं होता अपरिवर्तनशील ऋण-पत्र कहलाते हैं।

IV. कूपन दर के दृष्टिकोण से (From Coupon Rate Point of View)–

***(i)* शून्य कूपन दर** (Zero Coupon Rate)– शून्य कूपन दर बॉण्ड पर ब्याज की कोई निश्चित दर नहीं होती। निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए इन्हें बट्टे पर निर्गमित किया जाता है। अंकित मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच का अन्तर ब्याज की कुल राशि को दर्शाता है, जोकि बॉण्ड की अवधि से सम्बन्धित है। कुल ब्याज की आनुपातिक राशि को बॉण्ड के जीवनकाल की कुल अवधि में प्रतिवर्ष लाभ-हानि खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

***(ii)* निश्चित कूपन दर** (Specific Coupon Rate)– सामान्यत: ऋण-पत्र निश्चित ब्याज दर पर निर्गमित किए जाते हैं जिसे कूपन दर भी कहते हैं। ये निश्चित दर स्थायी अथवा चल हो सकती है। चल ब्याज दर सामान्यत: बैंक दर के साथ निहित होती है तथा जोखिम पर प्रतिफल सहित उत्पन्न होती है।

Scanned with CamScanner

V. लेखा की दृष्टि से (From Records Point of View) :

(1) रजिस्टर्ड ऋण-पत्र (Registered Debentures)– रजिस्टर्ड ऋण-पत्र वे हैं जिनके धारी का नाम कम्पनी के रजिस्टर में लिखा होता है। कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी को ऋण-पत्रधारियों का रजिस्टर रखना होता है। इस रजिस्टार में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं उन्हीं को ऋण-पत्रों पर ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जाता है।

(2) वाहक ऋण-पत्र (Bearer Debentures)– वाहक ऋण-पत्र वे हैं जो उसके वाहक को देय हैं। इसे केवल सुपुर्दगी द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इसका धारक होगा उसी को ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। वाहक ऋण-पत्रों के साथ कूपन लगा दिए जाते हैं जिन्हें ब्याज का भुगतान पाने के लिए परिपक्वता दिवस पर बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन ऋण-पत्रों के धारकों का नाम कम्पनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता।

ऋण-पत्र प्रन्यास संलेख
(Debenture Trust Deed)

प्रन्यास संलेख प्रविवरण पत्रिका (Prospectus) अथवा ऋण-पत्रों के सार्वजनिक अभिदान के निवेदन पत्र से पूर्व तैयार किया जाता है। कम्पनी ऋण-पत्रों के सार्वजनिक अभिदान से पूर्व, ऋण-पत्रधारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यासियों (Trustees) की नियुक्ति करती है। प्रन्यास संलेख को कम्पनी तथा प्रन्यासी दोनों मिलकर ही तैयार करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कोई कम्पनी सुरक्षित ऋण-पत्र निर्गमित करती है तो कम्पनी के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वह प्रत्येक ऋण-पत्रधारी को कम्पनी की सम्पत्ति का भार दे या सम्पत्ति के स्वामित्व संलेख हस्तांतरित करे। अतः ये प्रन्यासी ऋण-पत्रधारियों के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा इन्हें प्रन्यासी संलेख निर्गमित किया जाता है और कम्पनी की वह सम्पत्ति इन्हीं के अधिकार में दे दी जाती है जिस पर भार या बन्धक द्वारा ऋण-पत्र निर्गमित किए जाते हैं। प्रन्यासी बन्धक या भार वाली सम्पत्ति को सब ऋण-पत्रधारियों के हित के लिए रखते हैं। कम्पनी द्वारा ब्याज के भुगतान या ऋण-पत्रों की अवधि के पश्चात् मूलधन लौटाने की त्रुटि करने पर प्रन्यासियों द्वारा प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण-पत्रधारियों को अनुपातिक रूप से भुगतान कर दिया जाता है। प्रायः बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा विनियोग प्रन्यास आदि प्रन्यासियों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

प्रन्यास संलेख के प्रमुख लाभ
(Main advantages of Trust Deed)–

(*i*) प्रन्यासियों (Trustees) को कम्पनी की सम्पत्तियों पर कानूनी प्रभार (Legal Mortgage) प्राप्त हो जाता है ताकि इनके व्यक्ति इसके बाद कम्पनी को ऋण प्रदान करते हैं उन्हें ऋण-पत्रधारियों से पूर्व कम्पनी से अपना उधार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता ; एवं

(*ii*) जब भी कम्पनी भुगतान करने में त्रुटि करती है तब ऋण-पत्रधारियों की ओर से न्यासी (Trustee) प्रभार में रखी हुई सम्पत्तियों से अपना रुपया वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं।

प्रन्यास संलेख की विषय-सामग्री (Contents of Trust Deed)–

(1) निर्गमित ऋण-पत्रों की संख्या और उनकी अधिकतम् राशि।
(2) ब्याज की दर तथा भुगतान की विधि।
(3) मूलधन के भुगतान की तिथि, शर्तें तथा रीति।
(4) उस सम्पत्ति का विवरण जिस पर जमानत के रूप में प्रभार उत्पन्न किया गया है।
(5) कम्पनी द्वारा भुगतान की त्रुटि की दशा में प्रन्यासियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य।
(6) ऋण-पत्रों की प्रकृति, प्रकार तथा हस्तांतरण की रीति।
(7) बन्धक रखी गई सम्पत्ति की देख-रेख तथा बीमे की व्यवस्था।
(8) प्रन्यासियों का पारिश्रमिक आदि।

प्रन्यासी के कार्य एवं कर्त्तव्य (Functions and Duties of Trustees)–

(*i*) कम्पनी (निगम) से समयकालित प्रतिवेदना मँगवाना ;
(*ii*) प्रन्यास संलेख के प्रावधानों के अनुसार न्यास परिसम्पत्तियों का स्वामित्व अपने अधिकार में लेना ;
(*iii*) ऋण-पत्रधारकों के हितों को सुरक्षित रखना ;
(*iv*) ऋण-पत्र न्यास विलेख के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों पर सृजित प्रभार को आंबटन-पत्र निर्गमित करने और ऋण-प्रमाणपत्र को भेजने के 30 दिनों के अन्दर पूरा करना ;

Scanned with CamScanner